

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1159 / 2022

दिनांक : 04.04.2022

श्रीमती रेखा शर्मा (RJ0299), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II को दिनांक 18.04.2022 से 20.04.2022 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.04.2022 से 15.04.2022 व 17.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों एवं 16.04.2022 के ऐच्छिक अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
06.04.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/02/2000/2666

दिनांक : 06.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 18 दिनांक 28.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रेखा शर्मा (RJ0299), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, जयपुर महानगर-II

24.04.2022  
सहायक रजिस्ट्रार